[1][नियम 96ग : प्रतिदाय जमा हेतु बैंक खाता

नियम 91 के उपनियम (3), नियम 92 के उपनियम (4) और नियम 94 के प्रयोजनों के लिए ''बैंक खाते'' से आवेदक का ऐसा बैंक खाता अभिप्रेत होगा जो आवेदक के नाम पर है तथा उसकी स्थायी खाता संख्या पर प्राप्त किया गया है :

परन्तु स्वत्वधारी समुत्थान की दशा में, स्वत्वधारी की स्थायी खाता संख्या स्वत्वधारी की आधार संख्या से भी जुड़ी हुई हो।**]**

---

[1] अधिसूचना क्रमांक 35/2021–केन्द्रीय कर, दिनांक 24.09.2021 द्वारा नियम 96ग अंतःस्थापित। यह संशोधन प्रभावशील नहीं किया गया है।